[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 74/2018–केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 दिसंबर, 2018

सा.का.नि.______(अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में धारा 51 के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, **प्ररूप जीएसटी आरईजी**-07 में आवेदन के भाग क में ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग ख में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कार्यालय का मुख्य स्थान अवस्थित है जो भाग क में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।"

3. उक्त नियमों में, नियम 43 के उपनियम (1) में "खुदरा-खुदरा व्यापार करने वाले से प्राप्त" शब्दों के पश्चात् "या एक खुदरा-खुदरा व्यापार करने वाले से दूसरे को भेजा गया" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 46 के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रानिक बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

5. उक्त नियमों के नियम 49 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलेक्ट्रानिक बिल जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

6. उक्त नियमों में नियम 54 के,—

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

(ख) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार [illegible] जारी किए जाने के मामलों में अपेक्षित नहीं होंगे।”।

7. उक्त नियमों में नियम 89 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण (क) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“समायोजित कुल आवर्त” और “शुद्ध आईटीसी” के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में हैं।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (क) में “[illegible] रूप से निर्यात माल [illegible] करता है” शब्दों के पश्चात् “[illegible] या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 10[illegible] के उपनियम ([illegible]) में “[illegible]” शब्दों के पश्चात् “या उसका भाग” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों नियम 109क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“109ख. पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश (1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे **प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01** में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 में सारांश रूप से संपुष्ट मांग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।”।

11. उक्त नियमों में नियम 138 के उपनियम (14) में स्पष्टीकरण (2) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 2.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “हस्तशिल्प माल” का वही अर्थ है जो इसका सम्यक् [illegible] पर प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1056(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 56/2018-केंद्रीय कर, तारीख 23 अक्तूबर, 2018 में है।”

12. उक्त नियमों के नियम 138घ के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“138ङ. **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी**-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन—नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिती, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कूरियर अभिकरण भी है), रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में **प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी**-01 के भाग क में जानकारी देने के अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्तकर्ता हो, —

(क) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति है, उसने दो उत्तरवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है; या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने दो मास की उत्तरवर्ती अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है:

परंतु आयुक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर उक्त निर्बंधन से कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि राज्य कर आयुक्त या उस संभाग का अपर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''आयुक्त'' पद से खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।''।

13. उक्त नियमों में, नियम (42) के उपनियम (5) में ''खण्ड (4)'' शब्दों के पश्चात् ''या धारा 11 की उपधारा (11)'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01

(नियम 89(1) देखिए)

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(नैमित्तिक या अनिवासी करयोग्य व्यक्ति, कर की कटौती करने वाला, कर का संग्रहण करने वाला, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत करयोग्य व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी	
2.	विधिक नाम :	
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो :	
4.	पता :	
5.	कर अवधि : (यदि कोई हो)	(वर्ष-मास) से (वर्ष-मास)
6.	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु.) :	

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. प्रतिदाय दावा के आधार (नीचे से चयन करें) :

(क)	इलैक्ट्रानिक नकद खाते में अतिशेष
(ख)	सेवाओं के निर्यात-कर के संदाय के साथ
(ग)	माल/सेवाओं के निर्यात - कर के संदाय बगैर सेवाओं का निर्यात
(घ)	आदेश के मद्दे

क्रम सं.	आदेश का प्रकार	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	मांग आदेश संख्या (यदि कोई हो)
(i)	निर्धारण				
(ii)	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
(iii)	अपील				
(iv)	कोई अन्य आदेश (उल्लेख करें)				

		(ड.)	निर्यात का दावा के कारण संचित आई टी सी की (धारा 54(3) के प्रथम परंतुक का खंड (ii))			
		(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे - (कर संदाय के साथ)			
		(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे - (कर संदाय के बिना)			
		(ज)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता			
		(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपलब्ध नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)			
		(ञ)	अंतराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतराज्यिक प्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (प्रतिलोम में परिवर्तन)			
		(ट)	कर का अधिक संदाय यदि कोई हो।			
		(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
8	बैंक खाता के ब्यौरे	बैंक का नाम	बैंक शाखा का पता	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	खाता के प्रकार	खाता संख्या
9	क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा कथन/घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो			हाँ ☐		नहीं ☐

घोषणा (धारा 54(3) का दूसरा परंतुक)

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की कमी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए ऐसे माल या सेवाओं पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर
नाम
(प्राधिकृत प्रतिनिधि)

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि आवेदन में दावा किया गया, इनपुट कर प्रत्यय, प्रतिदाय में आवेदक द्वारा या पूर्ण रूप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपयोग किया गया आई टी सी भी सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम /प्रास्थिति

घोषणा (नियम 89(2)(च))

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा (नियम 89(2)(छ))

(मानित निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरणी में दिया गया है और दावा उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं /करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिनका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरणी में दिया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं /करती हूं कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेगा।

हस्ताक्षर
नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

वचनबंध

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं/ देती हूं यदि, बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

नाम	पदनाम/प्रास्थिति

स्व-घोषणा नियम 89(2)(1)

मैं.......................... आवेदक जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.......... है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं /करती हूं और प्रमाणित करता हूं /करती हूं कि कर, ब्याज या .... से .... तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत के .... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है

13. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं /करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद में हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान तारीख	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध - 1

विवरण -1 [नियम 89 (2)]

प्रतिदाय: प्रदाय निर्यातित का आवेदन के लिए देय अधिक आई टी सी (धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii))

(रकम रु. में)

माल और सेवाओं के निर्यातित पूर्ण प्रदाय	माल और सेवाओं के पूर्ण निर्यातित पूर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर	दावा की गई अधिकतम प्रतिदाय

का आवर्त	प्रदाय पर संदत्त कर		प्रदाय	रकम
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित हेतु [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

क्रम सं.	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	प्रदायकर्ता की जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी/बी2सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

*विनिर्देश प्रभाग 1(क) के अधीन प्राप्त आवकों या प्रदायों की दशा में (केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (3) की धारा 9 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)), प्राप्तकर्ता के जी एस टी आई एन के बजाय [illegible] का भी एक ही आई एन अंकित है।

विवरण 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी/एफ आई आर सी		नामे नोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	जमा नोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10-11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	मूल्य		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु. में)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासक कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु. में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक ब्यौरे			पोत पत्र/निर्यात पत्र/विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	नामे नोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9+10–11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासक कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय के बिना)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवाएं (जी/एस)	लदान बिल/निर्यात बिल/मुद्रांकित बीजक सं.	
	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विवरण-3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) - प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु. में)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
1	2	3	4

विवरण 4 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : समझी गई निर्यात के मद्दे

(रकम रु. में)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 5 [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय प्रकार : पी ओ एस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्य से अंतराराज्यिक और विलोमतः)

आदेश ब्यौरे (धारा [illegible] (2) और (3) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो) : आदेश सं. आदेश तारीख

।

[illegible] सूची/ जीएसटी/ [illegible] 1 [illegible] के बारे में)	बीजक के ब्यौरे				पूर्व अनंतिम/अनंतिम के रूप में संदाय पर संदत्त कर के ब्यौरे					ऐसे संदाय पर पुनर्निर्धारित कर …		
					एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्रविष्टि 4 से भिन्न हो)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र …
	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

विवरण [नियम 89 (2) (ट)]

नियम 89 (2) (ट) के अधीन फाईल किए आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय होने पर प्रतिदाय

(रकम रु. में)

कर अवधि	विवरणी का ए आर एन	विवरणी फाइल करने की तारीख	संदत्त कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र (नियम 89(2)(ड))

यह प्रमाणित किया जाता है कि .... की अवधि के लिए.. (माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी), मैसर्स.. (आवेदक का नाम) द्वारा .... (रुपये) में आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षित लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों की परीक्षा के आधार पर है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखापाल के हस्ताक्षर

नाम:
सदस्य संख्या:
स्थान:
तारीख:

टिप्पण - इस प्रमाणपत्र को ऐसे आवेदक से देने की अपेक्षा नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त शब्द:

क. बी टू सी - रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

ख. ईओयू - निर्यात उन्मुख उपक्रम

ग. जीएसटीआईएन - माल और सेवा कर पहचान संख्या

घ. आईजीएसटी - एकीकृत माल और सेवा कर

ङ. आईटीसी - इनपुट कर प्रत्यय

च. पीओएस - प्रदाय का स्थान (संबंधित राज्य)

छ. एसईजेड - विशेष आर्थिक जोन

ज. अस्थायी आईडी - अस्थायी पहचान संख्या

झ. यूआईएन - विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलेक्ट्रानिक नकद लेजर में उपलब्ध अतिशेष रकम का प्रतिदाय विवरणी या आवेदन फाइल करके भी दावा किया जा सकता है।

3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करते समय इलेक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद लेजर से की जाएगी।

4. **प्ररूप जीएसटी आरएफडी**-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है।

5. आईजीएसटी के संदाय के साथ माल के निर्यात पर प्रतिदाय का दावा इस आवेदन के साथ प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।

6. बैंक खाता ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए। बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कथन किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा।

7. घोषणा उन मामलों में फाइल की जाएगी, जहां कहीं अपेक्षित हो।

8. शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय से सुसंगत अवधि के दौरान कथन-3 के प्रयोजन के लिए इनपुट पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और उसमें कथन 5क और 5ख के प्रयोजन के लिए इनपुट सेवाओं पर आईटीसी भी है।

9. शून्यकोटिक कुल आवर्त से धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न कुल प्रदायों के मूल्य को छोड़कर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है।

10. कथन-3 के प्रयोजन के लिए, प्रतिदाय दावा जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में रिपोर्ट किए गए पर आधारित होगा।

11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां बाध्यकारी होंगे, जहां सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाता है, माल के निर्यात के मामले में पोत बिल और ईजीएम प्रयोग करना बाध्यकारी होगा।

12. जहां (निर्यात आदेश) ब्यौरों का संशोधन किया जाता है, प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे कथन-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे।

14. कर के संदाय के बिना एसईजेड यूनिट या एसईजेड विकासक को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी।

15. माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त का वही अर्थ होगा जो नियम 89(4) में परिभाषित है।

15. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01क
(नियम 89(1) और 97क देखें)

प्रतिदाय के लिए आवेदन (मैनुअल)
(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी							
2	विधिक नाम							
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4	पता							
5	कर अवधि (यदि लागू हो)	(वर्ष/मास)		से (वर्ष/मास)				
6	दावा किए गए प्रतिदाय की (रु.)	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें)	(क)	इलैक्ट्रॉनिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष					
		(ख)	माल/सेवाओं के निर्यात कर के संदाय के साथ					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बिना (संचित आईटीसी)					
		(घ)	विलोम कर ढांचे के कारण एक संचित आईटीसी (खंड (ii) के पहले परंतुक के और ... के अधीन)					

(ठ)	विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई/विशेष आर्थिक क्षेत्रविकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय सहित)
(ड)	विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई/विशेष आर्थिक क्षेत्रविकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय बिना)
(ढ)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता
(ण)	आदेश के ब्यौरे

क्रम सं.	आदेश का प्रकार	आदेश सं.	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय विवरण सं. यदि कोई हो
(i)	निर्धारण				
(ii)	अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
(iii)	अपील				
(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				

(त)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे पश्चात्वर्ती अंतःराज्य प्रदाय निर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (जीएसटी से परिवर्तित)
(थ)	कर का अधिक संदाय यदि कोई हो ।
(द)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(अधिनियम धारा 34(3) का दूसरा परंतुक)

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और करयोग्य कर के किसी प्रतिदाय की सुविधा का उपयोग नहीं किया है और इनपुट्स तथा ऐसे उत्पादों पर जिसका प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्राधिकारी

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय, प्रतिदाय में उपयोग शुल्क दर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं का उपयोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्राधिकारी

घोषणा (नियम 89(2)(च))

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्राधिकारी

घोषणा (नियम 89(2)(छ))

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिनका ब्यौरा उक्त कर आदि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण ... में दिया गया है और दावा उक्त कर आदि के लिए प्रस्तुत की गई विनिर्दिष्ट विवरणी में उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूं/करती हूं कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिनका ब्यौरा उक्त कर आदि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण ... में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम/ प्रास्थिति

वचनबंध

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उक्त दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूं / देती हूं यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम [illegible] माल और सेवा कर अधिनियम की धारा [illegible] की उपधारा [illegible] के साथ पठित धारा [illegible] की उपधारा [illegible] के खंड [illegible] की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर
नाम

पदनाम प्रास्थिति

स्व-घोषणा (नियम [illegible])

मैं.............................आवेदक जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान...............है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं /करती हूं और प्रमाणित करता हूं /करती हूं

कि कर, ब्याज या .... से .... तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत के .... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आदेश में उल्लेख किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्राधिकारी

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क), या खंड (ख), या खंड (ग), या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है।

II. सत्यापन

मैं (हम) (करदाता का नाम) आवेदक के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिज्ञान करता हूं/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इससे कुछ छुपाया नहीं गया है।

मैं/हम यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मद में हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

तारीख

पदनाम/प्राधिकारी

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त आईटीसी (धारा 54 (3) के परन्तुक का खंड (ii))

(रु. में रकम)

क्रम और	माल और	समायोजित	शुद्ध इनपुट कर	दावा की जाने वाली

सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	कुल आवर्त	प्रभार	अधिकतम प्रदत्त रकम [(1x4÷3)-2]
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं.	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन/ रजिस्ट्रीकरण प्रदायकर्ता का नंबर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी/बी2सी)	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* [illegible] के अधीन प्राप्त आवकों या प्रदायों की दशा में (केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम [illegible] माल और सेवा कर अधिनियम की उपधारा (1) की धारा [illegible] एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा [illegible] की उपधारा [illegible], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन [illegible] (रजिस्ट्रीकरण) का जी एस टी आई एन अपेक्षित है।

विवरण-2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	उपकर	बी आर सी/ एफ आई आर सी	नामे नोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	जमा नोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर

	सं.	तारीख	मूल	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख	उपकर यदि कोई हो	उपकर यदि कोई हो	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-3 (नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग))

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु. में)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/निर्यात पत्र			ईबीआरसी/एफआईआरसी		बी आर सी/एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड		तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 4क (नियम 89(4))

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी – प्रतिदाय की रकम की संगणना)

(रकम रु. में)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1x2÷3)
1	2	3	4

विवरण-4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ङ)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु. में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक ब्यौरे			पोत पराक्रमित/पत्र विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		उपकर	समेकित से आवंटित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में आवंटित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (8+9)-(10+11)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम रु. में)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम रु. में)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन/यूआईएन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89(2) (ञ)]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतरराज्यिक और विपर्ययेन)

आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी यदि कोई हो)

आदेश सं0 **आदेश तारीख**

जीएसटीआईएन/ यूआईएन/ नाम (बी टू सी के मामले में)	राज्यांतरिक /अंतरराज्यिक पूर्ति के रूप में संव्यवहार अवधारित के ब्यौरे						संव्यवहार जिसके लिए अन्तर... पश्चा...		
	बीजक के ब्यौरे	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता की स्थिति से भिन्न हो)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/ राज्य...

				कटौती मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम	प्रतिभूति	रकम	रकम	[illegible]
	सं०	तारीख	मूल्य									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1[illegible]

विवरण-7 [नियम ९९(२) (ट)]

प्रतिदाय प्रकार- प्रस्तुत की गई अंतिम विवरणी की दशा में कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रुपए में)

कर अवधि	विवरणी का ए.आर.एन.	विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

10. उक्त नियमों के, प्ररूप जीएसटी आर-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप जी एस टी आर-9 (नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी						
भाग-I	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम, यदि कोई हो					
भाग-II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे					
	(आंकड़े रुपयों में रखा जाना है)					
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	उन वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जिन पर कर संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					
क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय (बी2सी)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को किए गए प्रदाय (बी2बी)					
ग	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोनों के सिवाय शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					

ग.	समग्र ताप विवरण					
घ	अग्रिम जिस पर कर संदत्त है, परन्तु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ग) के अधीन सम्मिलित नहीं है)					
ङ	आवक प्रदाय जिन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
च	अंतिम योग (उपर्युक्त क से ङ तक)					
छ	उपर्युक्त (क से च) में निर्दिष्ट संव्यवहारों में जोड़े गए संशोधन (+)					
ज	उपर्युक्त (क से च) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में की गई कमी (-)					
झ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ञ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटाई हुई प्रदाय / कर					
ट	उपर्युक्त (छ से ञ) का अंतिम योग					
ठ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर कर संदत्त किया जाना है (उपर्युक्त च+ट)					
5	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिन पर उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कर संदेय नहीं है					
क	(कर संदाय के बिना) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					

ख	कर संदाय के लिए विशेष आईटीसी आगे को प्रदाय					
ग	प्रदाय किया गया उसके नए भाग के आधार पर प्राप्तियों द्वारा संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्रदाय					
ङ	शून्य रेटेड					
च	गैर – जी एस टी प्रदाय जिसके अंतर्गत कोई प्रदाय नहीं भी है					
[illegible]	अधिक शुद्ध (उपाबंधित क से च)					
[illegible]	उपाबंधित (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी अग्रिम [illegible]					
[illegible]	उपाबंधित (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नहीं [illegible]					
[illegible]	संशोधनों [illegible] के माध्यम से घोषित प्रदाय					
[illegible]	संशोधनों [illegible] के माध्यम से की गई घोषणा					
[illegible]	अधिक शुद्ध (उपाबंधित क से ङ)					
[illegible]	[illegible] किया जाता है (उपाबंधित [illegible])					
[illegible]	कुल आवर्त (अधिक शुद्ध (उपाबंधित [illegible])					

भाग III	निर्धारण वर्ष के लिए आईटीसी का ब्यौरा

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6	वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग किए गए आईटीसी का ब्यौरा

क	प्ररूप जी एस टी आर - 3ख के माध्यम से उपभोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की कुल राशि (प्ररूप जी एस टी आर - 3ख की सारणी 4क का कुल जोड़)		<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
ख	आवक प्रदाय (आयातों और आवक प्रदायों के सिवाय परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	इनपुट				
		पूंजी माल				
		इनपुट सेवाएं				
ग	रिवर्स चार्ज (अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से) (ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टी सी का उपभोग किया गया है	इनपुट				
		पूंजी माल				
		इनपुट सेवाएं				
घ	रिवर्स चार्ज (रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से) (ख से भिन्न) के लिए दायी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टी सी का उपभोग किया गया है	इनपुट				
		पूंजी माल				
		इनपुट सेवाएं				
ङ	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय सम्मिलित)	इनपुट				
		पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक					

	लोगों से अधिक प्रदाय होकर				
छ	आई एम सी से प्रदत्त निधि का प्रत्यय				
ज	अधिप्राप्ति के उपस्करों के अंतिम पुनर्निर्धारित आई टी सी को प्राप्त (उपस्कर छ से भिन्न)				
झ	अधिक योग (उपस्कर छ से ज)				
ञ	योग (उपस्कर क-ज)				
ट	टी आर ए एम-1 के अनुसार से बढ़कर प्रत्यय (पुनर्निर्धारित अधिक) यदि कोई हो				
ठ	टी आर ए एम-2 के अनुसार से बढ़कर प्रत्यय				
ड	उपयोग की गई किन्तु (प्रपत्र निर्धारित) नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी				
ढ	अधिक योग (उपस्कर ट से ड तक)				
ण	उपयोग की गई कुल आई टी सी (उपस्कर ञ + ढ)				
५	[illegible]				
क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ङ	धारा 17(5) के अनुसार				
च	टीआरएएन-1 प्रत्यय का उत्क्रमण				
छ	टीआरएएन-2 प्रत्यय का उत्क्रमण				
ज	अन्य उत्क्रमण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपस्कर क से ज तक जोड़)				

ज	उपयोग के लिए उपलब्ध कुल राशि (छ+ज)				

ड	[illegible]

क	[illegible] के अनुसार प्राप्त राशि	<शून्य>	<शून्य>	<शून्य>	<शून्य>
ख	[illegible] (क) और (ख) की कुल [illegible] के अनुसार प्राप्त राशि	<शून्य>			
ग	वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त [illegible] पर प्राप्त राशि [illegible] के लिए [illegible] और [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2011 के दौरान उपयोग किए गए				
घ	[illegible] (क+ख+ग)				
ङ	उपलब्ध राशि की परंतु उपयोग न की गई				
च	उपलब्ध राशि [illegible]				
छ	[illegible] के आधार पर [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]				
ज	[illegible] के आधार पर उपयोग की गई [illegible] [illegible] [illegible] के अनुसार	<शून्य>			
झ	[illegible]				
ञ	[illegible] के आधार पर उपलब्ध राशि की परंतु उपयोग न की गई [illegible]				
ट	[illegible] वर्षों के [illegible] कुल प्राप्त राशि [illegible]	<शून्य>	<शून्य>	<शून्य>	<शून्य>

[illegible]	[illegible] वर्ष के दौरान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

9	विवरण	देय कर	भुगतान	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

भाग V [illegible]

	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर (शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटाई हुई प्रदाय / कर (शुद्ध जमा पत्र)					

12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आईटीसी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	अनुसूची 10 और 11 के दौरान के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

भाग VI	अन्य जानकारी
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण

	विवरण	केंद्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस / अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल प्रतिदाय दावाकृत							
ख	कुल प्रतिदाय मंजूर							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							

घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ङ.	कुल मांगों की संख्या							
च	उपर्युक्त ङ. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ङ. के संबंध में लंबित कुल मांग							

16	धारा 143 के अधीन संयोजन करदाताओं, समझी गई प्रदाय, से प्राप्त प्रदायों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरे	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	संयोजन करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया किंतु वापस नहीं आया					

17	जावक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	कराधेय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

			स					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

14	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

[illegible]	[illegible]		
	विवरण	केंद्रीय	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रतिफल में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/ कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान : प्राधिकृत

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

तारीख :

पदनाम/ प्रास्थिति

अनुदेश :—

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. पूर्णांकन : पूर्णांक तक पूरा

ग. दशमलव : दस पद्धति पूरा की भारतीय पद्धति

1. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख फाइल करना आवश्यक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।

2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त आवर्त जो प्ररूप जीएसटीआर-1 और प्ररूप जीएसटीआर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए। तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018) के दौरान गैरदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का फायदा उठा नहीं जा सकता।

3. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है। यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समस्त मूल्य, जिस पर कर का संदाय किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 5 और सारणी 7 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 9, सारणी 10 का उपयोग किया जा सकेगा।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समस्त मूल्य (जिसके अंतर्गत यूआईएनों को किए गए प्रदाय भी है), जिस पर कर का संदाय किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय भी सम्मिलित होंगे किंतु इनमें ऐसी प्रदाय सम्मिलित नहीं होगी, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है। नामे नोट और जमा पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा।
4ग.	निर्यात का समस्त मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर का संदाय किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समस्त मूल्य, जिस पर कर का संदाय किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समस्त मूल्य, जिस पर कर का संदाय किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा।
4च.	अप्रदायित्त अग्रिमों के ब्यौरे, जिनके अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर का संदाय किया

	गया है किन्तु [illegible] में [illegible] नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ख)	सभी [illegible] पूर्तियों का कराधेय मूल्य (जिसके अंतर्गत [illegible]) जिस पर कर का [illegible] द्वारा (अर्थात् [illegible] व्यक्ति द्वारा) [illegible] आधार पर संदाय किया गया है। इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त [illegible] जिस पर [illegible] आधार पर कर उद्ग्रहीत किया गया है। इसके अंतर्गत [illegible] के [illegible] भी सम्मिलित होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ग)	एक करदाता से दूसरे करदाता को किए गए प्रदायों के संबंध में [illegible] (क), निर्यात (ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (घ) का [illegible] और [illegible] निर्यात (ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(घ)	एक करदाता से दूसरे करदाता को किए गए प्रदायों के संबंध में [illegible] (क), निर्यात (ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (घ) का [illegible] और [illegible] निर्यात (ङ) की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ङ) और (च)	एक करदाता से दूसरे करदाता को किए गए प्रदायों (क), निर्यात (ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (घ) से [illegible] और [illegible] निर्यात (ङ), [illegible] (छ), [illegible] (ज) [illegible] की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(छ)	निर्यात का [illegible] मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों [illegible]) जिस पर कर का [illegible] नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ज)	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का [illegible] मूल्य, जिस पर कर का [illegible] नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(झ)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का [illegible] मूल्य, जिस पर [illegible] द्वारा [illegible] आधार पर कर [illegible] है। [illegible] और [illegible] के ब्यौरों की घोषणा [illegible] से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ञ) [illegible] और (ट)	[illegible] जारी किए गए [illegible] जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा। [illegible] (कोई प्रदाय नहीं) का मूल्य [illegible] जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।

(च)	(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में दर्शित प्रदायों के संबंध में जारी [illegible] के समस्त मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(छ)	(क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में दर्शित प्रदायों के संबंध में जारी [illegible] के समस्त मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(ज) और (झ)	[illegible]
(ञ)	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
(क)	[illegible]
(ख)	[illegible]
(ग)	[illegible]

	की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(घ)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिस पर कर अनुसार प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(ङ)	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्राप्ति भी है, की यहां घोषणा की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(च)	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(छ)	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा ।
(ज)	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयोग किए गए, उलटे गए और पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी ।
(ञ)	प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और [illegible] में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी । आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए ।
(ट)	प्ररूप जीएसटी ट्रैन-[illegible] (जिसके अंतर्गत ट्रैन-[illegible] भी है, जहां आवेदन या अपील हो) पुनरीक्षित है, को फाइल करने पर इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा अंतरण प्रत्यय के ब्यौरे, यदि कोई हो, की यहां घोषणा की जाएगी ।
(ठ)	प्ररूप जीएसटी ट्रैन-[illegible] को फाइल करने के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी ।
(ड)	उपयोग किए गए ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे जो उपरोक्त [illegible] के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अधीन नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे । विशेष रूप से प्ररूप आईटीसी-[illegible] और प्ररूप आईटीसी-[illegible] के माध्यम उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहां घोषित किए जाएंगे ।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, [illegible] के नियम [illegible], नियम [illegible], नियम [illegible] और नियम [illegible] के अधीन अपेक्षित रूप से होने या उपयोग के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे की यहां घोषणा की जाएगी । इस शीर्ष में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, [illegible] की धारा [illegible] के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी ट्रैन-[illegible] या प्ररूप जीएसटी ट्रैन-[illegible] के अधीन दावा किया गया अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चात्वर्ती रूप से उलट दिया गया है,

	के बीच भी [illegible] होने चाहिए। इन [illegible] को [illegible] के लिए प्रपत्र जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा। प्रपत्र [illegible] के माध्यम से उठाए गए किसी [illegible] को [illegible] में [illegible] किया जाएगा। यदि प्रपत्र जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] में [illegible] प्रपत्र जीएसटीआर-[illegible] की सारणी [illegible] में [illegible] नहीं किया गया तो प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] की सारणी [illegible] में कोई [illegible] नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] की सारणी [illegible] में [illegible] प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] की सारणी [illegible] में सम्मिलित है तो [illegible] प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] की [illegible] में आएगी।
[illegible]	वित्तीय वर्ष [illegible] से संबंधित और प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] में दर्शाए गए [illegible] के लिए उपलब्ध [illegible] कुल [illegible] और [illegible] के लिए [illegible] से भिन्न, किंतु [illegible] है, [illegible] इस सारणी में [illegible] दर्शाया जाएगा। [illegible]
[illegible]	सारणी [illegible] में यथा [illegible] इनपुट कर प्रत्यय को यहां [illegible] दिखाया जाएगा।
[illegible]	सभी [illegible] इनपुट कर प्रत्यय [illegible] किंतु [illegible]
[illegible]	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्रपत्र जीएसटीआर-[illegible] [illegible] की यहां [illegible] की जाएगी। [illegible] प्रपत्र जीएसटी आर-[illegible] [illegible] होगा।
[illegible]	[illegible] प्रपत्र जीएसटीआर-[illegible] [illegible] होगा।
[illegible]	[illegible] की जाएगी।
[illegible]	सारणी [illegible] में [illegible] इनपुट कर प्रत्यय को यहां [illegible] दर्शित किया जाएगा।
[illegible]	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो [illegible] वर्ष के लिए [illegible] हो जाएगा, [illegible] की जाएगी।

६. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त कर समाविष्ट करता है । प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा ।

७. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितम्बर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, घोषित किया गया है भाग V को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है-

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले से घोषित किसी प्रदाय में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे किन्तु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे ।
12	इनपुट कर प्रत्यय के उत्क्रमण का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किन्तु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा ।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, फाइल की गई विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा । तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई आईटीसी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था पर चालू वित्तीय 2018-19 में उसका पुनः दावा किया गया, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।

८. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं । भाग VI को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, मंजूर, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदायों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय है, जिसे मंजूर किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित है । मंजूर प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय मंजूरी आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है । लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके

	अर्जित प्रारं [illegible] नहीं है ।
15(क), 15(ख) और 15(ग)	ऐसे करारों की बाबत के कुल मूल्य जिनके लिए [illegible] न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां दर्शित किया जाएगा । [illegible] मांग के कुल मूल्य [illegible] दर्शित किया गया है [illegible] दर्शित किया जाएगा ।
(16क)	सरकारी कार्यालयों से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] का उपयोग इस ब्यौरे को भरने के लिए किया जा सकेगा ।
(16ख)	माल और सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा [illegible] की उपधारा [illegible] और उपधारा [illegible] के निबंधनानुसार [illegible] प्रदायों का कुल मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा ।
(16ग)	ऐसे प्रदायों के लिए जिन्हें [illegible] आधार पर भेजा गया था किन्तु [illegible] एक सौ अस्सी दिन के भीतर [illegible] प्रदायों का कुल मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा ।
17 और 18	[illegible] के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का [illegible] करदाताओं के लिए [illegible] करोड़ रुपए तक है [illegible] करोड़ रुपए [illegible] दर्शित किया जाए [illegible] प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] का उपयोग किया जा सकेगा [illegible] ।
19	विलंब फीस [illegible] वार्षिक विवरणी [illegible] के पश्चात् [illegible] है ।

4. विवरणी के अंत में, प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] के [illegible] दर्शित [illegible] प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] में [illegible] दर्शित विवरणी [illegible] ।

5. [illegible] प्ररूप जीएसटीआर-[illegible] के [illegible] ।

उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क
(नियम 80 (देखें)
वार्षिक विवरणी (संरचना करदाता के लिए)

भाग I	मूलभूत ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष	
2	जीएसटीआईएन	
3क	विधिक नाम	<स्वतः>
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्वतः>
4	वर्ष (.......से ......तक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि	
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त	

(सभी रकमें रुपए में रखना)

भाग II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे						
	ब्यौरे	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						

7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है (नामे/जमा नोटों का शुद्ध)					
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्रतिलोम प्रभार के					

	लिए दावे आवक प्रदाय					
ख	अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दावे आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर शुद्ध कर					
8	विशेष वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क के सिवाय)					
ख	माल का आयात					

भाग V	वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त [illegible]		
9	विवरण	कुल संदेय कर	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		
	विलंब फीस		
	शास्ति		

भाग VI	[illegible] (damages) और रिफंड्स					
	विवरण	आईटीसी	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6

10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों का आवर्त (+) (नामे नोटों का योग)					
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)					
12	संशोधनों के माध्यम से घटाए गए प्रदाय का आवर्त (-) (जमा पत्रों का योग)					
13	संशोधनों के माध्यम से घटाए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)					

14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के चलते संदत्त अंतर कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

Pt. V	अन्य जानकारी							
15	मांग एवं प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	ब्यौरे	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							

घ	लंबित कुल प्रतिदाय								
ङ.	कर की कुल मांग								
च	उपर्युक्त ङ. के संबंध में संदत्त कुल कर								
छ	उपर्युक्त ङ. के बारे में लंबित कुल रकम								

[illegible]	उसी वर्ष के उपभुक्त प्रदाय का ब्यौरा				
	ब्यौरे	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5
क	संरचना स्कीम से विकल्प लेने पर उपाप्त माल प्रदाय (-)				
ख	संरचना स्कीम के बदले विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रदाय (+)				

[illegible]	फीस और ब्याज विलंब फीस		
	ब्यौरे	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और [illegible] से किसी कार्यों को इस से प्रकार [illegible] के [illegible] को [illegible] कर दिया गया है। [illegible]

स्थान :

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख :
पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :—

1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपनी सभी प्रारूप जीएसटीआर-1 फाइल करना आवश्यक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त [illegible] जो प्रारूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।

3. भाग 1 में करदाता के आधारिक ब्यौरे अपेक्षित हैं। भाग 2 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त (उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त) [illegible] के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में घोषित किया जाएगा। यह उसी सारणी लेखा मॉड्यूल पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का ब्यौरा है।

4. भाग 3 में उस वित्तीय वर्ष जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग 3 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य (कुल पंक्ति) [illegible] संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और [illegible] किए गए [illegible] का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्रारूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4 और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर प्रदाय और [illegible] प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्रारूप

	जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ख)	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उनसे पर संदत्त कर के आधार पर कोड है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2 की सारणी [illegible] सारणी [illegible] और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ग)	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2 की सारणी [illegible] और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(घ)	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2 की सारणी [illegible] और सारणी [illegible] का उपयोग किया जा सकेगा।
(ङ)	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

5. भाग V में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितम्बर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अपेक्षित हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्हीं प्रदायों के ब्यौरे या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितम्बर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी [illegible] (जावक प्रदायों से संबंधित) या सारणी [illegible] (आवक प्रदायों से संबंधित) में किए गए थे, यहां उपदर्शित किए जाएंगे।

6. भाग VI में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं। (भाग VI) को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रतिदाय के लिए दावाकृत, मंजूरीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। दावाकृत प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में दावाकृत किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रत्यावर्तन के लिए मंजूरीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित है। मंजूरीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय मंजूरी आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों का कुल योग होगा, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अंतरिम प्रतिदाय नहीं होगा। इसमें गैर-फाइल और रोककर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे।

(13), (14) और (15)	ऐसे करों की मदों के कुल मूल्य जिनके लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा करों की पुष्टि करते हुए आदेश जारी किया गया है वहां दर्शित किया जाएगा। उपरोक्त (13) से पुष्ट की गई मदों के कुल मूल्य हैं जो संदत्त करने का संकलित मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा।
(16क)	यदि कोई व्यक्ति [illegible] के अधीन कर देने का दावा करता है तो उसके इस दावे [illegible] का समेकित मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा। प्रारूप [illegible] से भिन्न यह प्रोफार्मा का उपयोग इन मदों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
(16ख)	यदि कोई व्यक्ति [illegible] के बाहर कर देने का दावा करता है तो उपरोक्त किए गये उपायों का संकलित मूल्य यहां दर्शित किया जाएगा। प्रारूप [illegible] से भिन्न यह प्रोफार्मा का उपयोग इन मदों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
(17)	विलम्ब शुल्क इस तरह यदि वास्तविक विवरणी इस तारीख के पश्चात फाइल की जाती है।

(. विवरणी के अंत में, प्रारूप [illegible] के माध्यम से, इस प्रारूप में दर्शित किसी [illegible] के संदाय का एक विवरण दिया जाएगा। [illegible] प्रारूप [illegible] में [illegible] मामले में "वार्षिक विवरणी" का सूचक [illegible] यह नोट किया जाए कि ऐसे [illegible] केवल इलेक्ट्रॉनिक [illegible] के माध्यम से संदाय किए जाएंगे।

(ख) [illegible] विवरणी में, प्रारूप [illegible] के भाग [illegible] निम्नलिखित प्रारूप [illegible], अर्थात् —

[illegible]

[illegible]

भाग क-सामान्य विवरण

भाग I	[illegible]
1	[illegible]
2	[illegible]
3(क)	[illegible]
3(ख)	[illegible]
4	क्या आप किसी [illegible] के अधीन किसी [illegible] के [illegible] हैं ? [illegible]
	[illegible]
भाग II	[illegible]
5	[illegible] आंकड़ों का [illegible]
क	[illegible]
ख	[illegible]
ग	[illegible]
घ	[illegible]
ङ	[illegible]
च	[illegible]
छ	[illegible]
ज	[illegible]
झ	[illegible]
ञ	[illegible]

ट	एसईजेड यूनिट द्वारा डीटीए यूनिट को माल के प्रदाय के लिए समायोजन	[illegible]	
ठ	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	[illegible]	
ड	धारा 15 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	[illegible]	
ढ	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	[illegible]	
ण	उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	[illegible]	
त	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात वार्षिक आवर्त		[illegible]
थ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में यथाघोषित आवर्त		
द	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)		एटी1
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण1	<<पाठ>>	
ख	कारण2	<<पाठ>>	
ग	कारण3	<<पाठ>>	
7	कराधेय आवर्त का समाधान		
क	समायोजनों के पश्चात वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)		[illegible]
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-जीएसटी प्रदाय और बिना प्रदाय आवर्त का मूल्य		
ग	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय		
घ	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय रिवर्स चार्ज आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाता है।		
ङ	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क - ख - ग - घ)		[illegible]
च	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त		
छ	असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ङ)		एटी2
8	कराधेय आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण		
क	कारण1	<<पाठ>>	
ख	कारण2	<<पाठ>>	
ग	कारण3	<<पाठ>>	

भाग III	संदत्त कर का समाधान					
9	दर-वार वर्गीकृत कर दायित्व तथा संदत्त रकम का समाधान					
			संदत्त कर			
	दर	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
अ	5%					
आ	5% (आरसीएम)					
इ	12%					
ई	12% (आरसीएम)					
उ	18%					
ऊ	18% (आरसीएम)					
ए	28%					
ऐ	28% (आरसीएम)					
ओ	3%					
औ	0.25%					
क	0.10%					
ख	ब्याज					
ग	विलंब शुल्क					
घ	शास्ति					
ङ	अन्य					
च	उपर्युक्त अनुसूचियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
छ	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
ज	रकम का असमाधानकृत संदाय (जीएसटी)					
10	रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
अ	कारण 1	<<पाठ>>				

ख	कारण 2	<<टिप्पणी>>
ग	कारण 3	<<टिप्पणी>>

14 अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उल्लेखित सारणी 5, 7 और 12 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)

		मदों के माध्यम से संदत्त किया जाए			
वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
5%					
12%					
18%					
28%					
3%					
0.25%					
0.10%					
ब्याज					
विलंब शुल्क					
शास्ति					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

भाग V इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का मिलान

12 शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान

क	एकल ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन दशा में पुस्तिकों के लिए इसे संगणित किया जाना चाहिए)		
ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किया गया पूर्व वित्तीय वर्षों से दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(+)	
ग	पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्षों में दावा किया जाने वाला चालू वित्तीय वर्ष से दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(-)	

घ	लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया कुल इनपुट कर			<<स्वतः>>
ङ	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय			
च	असमायोजित इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)			आईटीसी 1
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमायोजित अंतर के कारण			
क	कारण 1	<<पाठ>>		
ख	कारण 2	<<पाठ>>		
ग	कारण 3	<<पाठ>>		
14	वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान			
	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम	लाभ ली गई पात्र आईटीसी की रकम
	1	2	3	4
क	क्रय			
ख	भाड़ा/ढुलाई			
ग	ऊर्जा और ईंधन			
घ	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त सहित)			
ङ	किराया और बीमा			
च	खोए हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए, बट्टे खाते में डाले गए या उपहार या मुफ्त नमूनों के रूप में दिए गए माल			
छ	रॉयल्टी			
ज	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि)			
झ	वाहन प्रभार			
ञ	बैंक प्रभार			
ट	मनोरंजन प्रभार			
ठ	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)			

ड	मरम्मत और अनुरक्षण			
ढ	अन्य प्रकीर्ण व्यय			
ण	पूंजी माल			
त	कोई अन्य व्यय 1			
थ	कोई अन्य व्यय 2			
द	उपयुक्त पात्र आईटीसी की कुल रकम			<<विवरण>>
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी			
न	असमाधानकृत (आईटीसी)			
15	आईटीसी के असमाधानकृत अंतर के कारण			
क	कारण 1	<<विवरण>>		
ख	कारण 2	<<विवरण>>		
ग	कारण 3	<<विवरण>>		
16	आईटीसी के असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (कारण 12 और 14 में विनिर्दिष्ट कारणों से)			

वर्णन	संदेय रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
ब्याज	
शास्ति	

भाग V गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर जानकारी

वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
		कर के रूप में संदेय			
1	2	3	4	5	6
[illegible]					

	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	शून्य कर [illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	अन्य [illegible]					

प्राधिकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि [illegible]

हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

पदनाम: प्रतिनिधि

स्थान:

तारीख:

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए विवरण :

(क) [illegible]

2. [illegible] वित्तीय वर्ष [illegible] के लिए [illegible] जुलाई [illegible] के [illegible]

3. [illegible] वित्तीय वर्ष [illegible]

4. [illegible]

सारणी क्र. अनुदेश

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

[illegible] वित्तीय वर्ष [illegible]

लिया गया है तो ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

(ग) ऐसे सभी अग्रिमों का मूल्य जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उन्हें संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची 1 के अधीन आने वाले प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । सम्बद्ध पक्ष द्वारा किए गए प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का भाग न हो, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी प्रदाय के लिए 30 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का समस्त मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट जो वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में परावर्तित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा ।

(च) व्यापार छूट जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा-जोखा किया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अनुज्ञात नहीं है, यहां घोषित की जाएगी ।

(छ) अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा ।

(ज) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किए गए राजस्व जो लेखा के उद्भूत आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।

(झ) सभी अग्रिमों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर संदाय नहीं किया गया है, किंतु जिन्हें वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।

(ञ) प्रत्यय नोटों का समस्त मूल्य, जिनका लेखा-जोखा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में किया गया है किंतु यह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञात नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।

(ट) एसईजेड इकाइयों द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए ऐसे मालों का समग्र मूल्य, जिनके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा ।

(ठ) ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संरचना स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संरचना करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संरचना स्कीम के अधीन माल और सेवा कर संदाय किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।

(ड) ऐसे मामले हो सकते हैं जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में

रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच अंतर के कारण प्रदानों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।

[illegible] विदेशी विनिमय घटबढ़ के कारण वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।

[illegible] ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।

[illegible] वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) में घोषित किए गए वार्षिक आंकड़े, यहां घोषित किए जाएंगे । ये आंकड़े वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) के क्रम संख्यांक [illegible] और [illegible] के अनुरूप हो सकेंगे ।

[illegible] वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आंकड़ों और वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) में घोषित आंकड़ों के बीच गैर-सामंजस्य के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

[illegible] वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) में घोषित समेकित आंकड़ों के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आंकड़ों से समेकित आंकड़ों के सामंजस्य के लिए सारणी उपलब्ध कराती है ।

[illegible] सारणी [illegible] में ये सभी स्तम्भ वार्षिक विवरणी बिना समायोजन के यहां भरी जाएगी ।

[illegible] कुल प्रावधान, कुल [illegible] और [illegible] यहां घोषित किया जाएगा । इनकी प्रकृति, [illegible] और [illegible], यदि कोई हो, को रिपोर्ट किया जाएगा ।

[illegible] कुल [illegible] यहां घोषित किया जाएगा । इनकी प्रकृति, [illegible] और [illegible], यदि कोई हो, को रिपोर्ट किया जाएगा ।

[illegible] [illegible] यहां घोषित किया जाएगा । इनकी प्रकृति, [illegible] और [illegible], यदि कोई हो, को रिपोर्ट किया जाएगा ।

[illegible] समेकित आंकड़ों को प्राप्त सारणी [illegible] में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आंकड़ों और सारणी [illegible], सारणी [illegible] और सारणी [illegible] में ऊपर घोषित सभी [illegible] के कुल [illegible] के बीच अंतर के रूप में प्राप्त किया जाता है ।

[illegible] वार्षिक विवरणी (ओएसएमओएस [illegible]) की सारणी [illegible] में घोषित किए गए समेकित आंकड़े, यहां घोषित किए जाएंगे ।

[illegible] संपरीक्षित वार्षिक समेकित आंकड़े जैसा ऊपर सारणी [illegible] से प्राप्त है और सारणी [illegible] में घोषित समेकित आंकड़ों के बीच गैर-सामंजस्य के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

4. भाग 3 : स्वचालित [illegible] में [illegible] के अनुसार संदेय कर [illegible] और [illegible] विवरणी (जीएसटीआर 3) में घोषित वास्तविक संदेय कर के [illegible] किया जाता है । इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

सारणी सं.	अनुदेश
1.	सारणी [illegible] के अनुसार संदेय कर के [illegible] और [illegible] विवरणी (जीएसटीआर 3) में घोषित संदेय कर की [illegible] का उपबंध करती है । "[illegible]" के रूप में [illegible] के अधीन [illegible] जहां [illegible] जिसके लिए [illegible] किया गया है, [illegible] के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
1(क)	सारणी [illegible] में घोषित [illegible] के अनुसार संदेय कर की [illegible] कोई [illegible] के बाद आएगी ।
1(ख)	[illegible] विवरणी (जीएसटीआर [illegible]) की सारणी [illegible] में घोषित [illegible] यहां घोषित की जाएगी । [illegible] विवरणी (जीएसटीआर [illegible]) की सारणी [illegible] में [illegible] कोई [illegible] ।
[illegible]	उक्त सारणी [illegible] में घोषित [illegible] के लिए [illegible] सारणी [illegible] में [illegible] निर्दिष्ट की जाएगी ।
[illegible]	उक्त सारणी [illegible] और [illegible] के अधीन निर्दिष्ट [illegible] के [illegible] कोई [illegible] यहां घोषित की जाएगी ।

5. भाग 4 : इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के [illegible] में [illegible] किया जाता है । भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

सारणी सं.	अनुदेश
11क.	[illegible] विवरण [illegible] के अनुसार उपलब्ध की गई आईटीसी [illegible] के पश्चात् यहां घोषित की जाएगी । ऐसी [illegible] हो सकती है, [illegible] जीएसटीआर [illegible] एक ही [illegible] पर [illegible] हो सकते हैं । [illegible] आईटीसी [illegible] के लिए [illegible] है । ऐसे [illegible] की [illegible] जीएसटीआर [illegible] के लिए [illegible] आईटीसी [illegible] रूप में [illegible] होगी और [illegible] यहां घोषित [illegible] होगा । [illegible] यह [illegible] है कि [illegible] विवरण [illegible] के [illegible] में [illegible] के [illegible] है ।
11ख.	कोई आईटीसी किसी [illegible] विवरण वर्ष के [illegible] विवरण [illegible] में [illegible] किया गया किंतु उसका उपयोग उस विवरण वर्ष के आईटीसी [illegible] में किया गया, जिसके लिए [illegible] किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा । [illegible] भी [illegible] होगा, किसी [illegible] वर्ष में [illegible] किया गया था किंतु उसका उपयोग विवरण वर्ष [illegible] के दौरान किया गया ।
11ग.	कोई आईटीसी किसी [illegible] विवरण वर्ष के [illegible] विवरण [illegible] में [illegible] किया गया है किंतु [illegible] द्वारा [illegible] विवरण वर्ष के लिए आईटीसी [illegible] में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा ।

12घ.	वार्षिक समेकित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी जो उक्त सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा।
12ङ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) की सारणी 7ञ में घोषित उपभोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा।
13.	वार्षिक समेकित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में उपभोग शुद्ध आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के बीच असमाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
14.	यह सारणी वार्षिक समेकित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखाबद्ध व्ययों के विरुद्ध वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपशीर्ष वार्षिक समेकित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा। और, यह मदों की केवल एक दृष्टांतात्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखाबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किसी मद को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किए जाएंगे।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी यहां स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी।
14ध.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में घोषित उपभोग की गई शुद्ध आईटीसी यहां घोषित की जाएगी। वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) की सारणी 7ञ को इस सारणी को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
15.	सारणी 14द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 14ध में घोषित आईटीसी के बीच असमाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
16.	सारणी 9, 11, 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम यहां घोषित की जाएगी।

4. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोई प्रतिदाय जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में घोषित किया जाएगा। अंत, में कोई अन्य बकाया मांग, जिसके निपटान की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएगी।

5. विवरणी के अंत में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के संबंध में, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त देनदारियों के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप जीएसटीआर-9ग में उपलब्ध सुविधा (अतिरिक्त दायित्व का संदाय) का उपयोग कर सकेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसी देनदारियों का केवल इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता के माध्यम से संदाय किया जाएगा।

-भाग-ख - प्रमाणीकरण

2. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर-9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने—

(क) .... का तुलन-पत्र की ;

(ख) .... को आरंभ होने वाले और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और आय और व्यय लेखा की ;

(ग) नकद प्रवाह .... को आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उनके प्रधान कारबार स्थान .... (नाम .... (पता) .... जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है ।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति:

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/.... माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ;

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/.... माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित टिप्पणी/विसंगतियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करते हैं :

....

....

3. (ख) * मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,—

(अ) * मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा प्रयोजनों और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे / जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, वही प्रदान नहीं किए गए/अपेक्षित रूप में प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक अभिलेखों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ठीक से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ;

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन तारीख को .... पर कारबार के मुख्य स्थान और .... कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है/के अनुसार नहीं है ।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा .... के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और

संबंधित अधिनियम की धारा ( )( ) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित संपादन कथन प्ररूप सं. .... के साथ संलग्न है।

2. मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणी/अर्हताएं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्ररूप सं. .... में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

....

(ख)

....

(ग)

....

....

....

3. संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुद्रा/सील

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ....

(1) उन मामलों में प्रमाणीकरण, यहां संपादन कथन (उक्त ....) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स .... (कंपनी/एलएलपी के नाम निगमित का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा .... अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. .... धारण करने वाले मैसर्स .... फर्म के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता, द्वारा की गई थी और - मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ .... अवधि की उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं :

(क) .... को तुलन-पत्र;

(ख) .... से आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/या आय और व्यय लेखा;

(ग) .... से आरंभ होने वाली और .... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किया गया दस्तावेज।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त प्रतिस्थापित व्यक्ति

— ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/...माल और सेवा कर अधिनियम, 20__ और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

— ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/...माल और सेवा कर अधिनियम, 20__ और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा __ के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा __ के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर __ के साथ संलग्न है।

3. मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित संप्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप जीएसटीआर __ में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

(क)

....

(ख)

....

(ग)

....

....

....

**संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुद्रा/सील

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम ....

सदस्यता सं. ....

तारीख : ....

पूरा पता ....

(x) प्ररूप जीएसटी आईटीसी-__ के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी आईटीसी-__

नियम 109ख देखें

संदर्भ सं.: तारीख:

सेवा में,

....

....

....

जीएसटीआईएन/आईडी.......................................

आवेदन सं.:-

तारीख

धारा 108 के अधीन नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरी के नोटिस में यह आया है कि अधिकारी का पदनाम.............................. द्वारा इस अधिनियम, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ 2017 संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश जहां तक यह राजस्व के हित के प्रतिकूल है, त्रुटिपूर्ण है और अवैध है या अनुचित है अथवा इसमें कतिपय तात्त्विक तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसलिए मैं इसके साथ संलग्न उपाबंध में विनिर्दिष्ट आधारों पर धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण में उक्त आदेश पारित करने का आशय करता हूं।

आपको इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया जाता है।

आपको तारीख..................समय..................पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो इस मामले को उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय विनिश्चित किया जाएगा।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख पदनाम:

अधिकारिता कार्यालय ।"।

(१) ऐसे नियमों में, प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप जीएसटी एपीएल-04
[नियम 113(1) और 115 देखें]

अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के पश्चात् मांग का सार

निर्देश सं.—   तारीख –

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी/ यूआईएन
2.	अपीलार्थी व्यक्ति का नाम
3.	अपीलार्थी व्यक्ति का पता
4.	अपील के विरुद्ध या पुनरीक्षण के लिए आक्षेपित आदेश संख्या तारीख
5.	अपील सं.
6.	व्यक्तिगत सुनवाई
7.	संक्षिप्त आदेश
8.	आदेश की प्रास्थिति- पुष्ट/ उपांतरित/ निरस्त

9. अपील/ पुनरीक्षण के पश्चात् मांग की रकम:

विशिष्टियां	केंद्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		कुल	
	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम	आक्षेपित रकम	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम	आक्षेपित रकम	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम	आक्षेपित रकम	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम	आक्षेपित रकम	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम	आक्षेपित रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. कर										
ख. ब्याज										
ग. शास्ति										
घ. फीस										
ङ. अन्य										
च. जोड़										

10. आईजीएसटी मांग के प्रदायवार ब्यौरे का स्थान

प्रदाय का स्थान (राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद पूर्णतः आदेश में रकम					
	आक्षेपित रकम					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

नामित अधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी/[illegible] का नाम

पदनाम:

अधिसूचना [illegible]

[फा. सं. [illegible]]

(डा. [illegible] एस. एस.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. [illegible]-केंद्रीय कर, तारीख [illegible] जून, [illegible] द्वारा सा.का.नि. सं. [illegible] तारीख [illegible] जून, [illegible] द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. [illegible]-केंद्रीय कर, तारीख [illegible] अक्टूबर, [illegible] जो सा.का.नि. सं. [illegible] तारीख [illegible] अक्टूबर, [illegible] द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।